FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा टोड़ाभीम जिला करौली जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री शिम्भुदयाल मीना — प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबू लाल चौबदार पुत्र श्री मांग्या चौबदार निवासी बौंल, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली (फौत) — ऋणी
   1/1 श्रीमती विमला पत्नि स्व. श्री बाबूलाल चौबदार निवासी बौंल तहसील टोड़ाभीम
   1/2 मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री बाबूलाल चौबदार निवासी बौंल तहसील टोड़ाभीम
   1/3 विशम्बर सिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल चौबदार निवासी बौंल तहसील टोड़ाभीम
   1/4 जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल चौबदार निवासी बौंल तहसील टोड़ाभीम
   — ऋणी के वारिसान/अप्रार्थीगण
2. श्रीमती विमला पत्नि स्व. श्री बाबूलाल चौबदार निवासी बौंल तहसील टोड़ाभीम जिला करौली, राज. — जमानती

मु.नं.—02/20 कि.मु.—अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 ता.रजु—27.01.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27.01.2020	प्रार्थी की ओर से श्री रामरज गुप्ता, एडवोकेट द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरूद्ध ऋणी/अप्रार्थीगण से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ऋणी ने प्रार्थी से 2,00,000 रूपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी ने अपनी अचल सम्पति आवासीय पट्टा संख्या 3405 स्थित ग्राम बौंल, पोस्ट बौल तहसील टोड़ाभीम जिला करौली (राज.) जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप 900 वर्गफुट है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार है:—पूर्व में गली, पश्चिम में बृजमोहन का प्लॉट, उत्तर में श्री सूरज एवं स्वयं का बाड़ा, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। ऋणी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण/ऋणी के खाता को दिनांक 27.04.2019 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी संस्था के दिनांक 31.07.2019 तक राशि 305741/— (तीन लाख पांच हजार सात सौ इकतालीस रुपये मात्र) रूपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे ऋणीपर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी संस्था द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 03.08.2019 को ऋणी के वारिसान/अप्रार्थीगण को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु ऋणी के वारिसान/अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी संस्था द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी के वारिसान/अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी	

गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त बावत् ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी संस्था के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी संस्था के द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 03.08.2019 को ऋणी के वारिसान को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी ऋणी के वारिसान द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई है। प्रार्थी के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह से प्रयास के बावजूद राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ऋणी द्वारा प्रार्थी संस्था से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी ने अपनी अचल सम्पति आवासीय पट्टा संख्या 3405 स्थित ग्राम बौंल, पोस्ट बौल तहसील टोड़ाभीम जिला करौली (राज.) जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप 900 वर्गफुट है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैः—पूर्व में गली, पश्चिम में बृजमोहन का प्लॉट, उत्तर में श्री सूरज एवं स्वयं का बाड़ा, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी संस्था को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। भौतिक कब्जा हस्तांतरण के दौरान तहसीलदार टोड़ाभीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक करौली प्रार्थी द्वारा चाहे जाने पर प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार नियमों के अनुरूप पुलिस सहायता उपलब्ध करावें। प्रार्थी पुलिस विभाग व तहसीलदार टोड़ाभीम से समन्वय स्थापित कर कब्जा हस्तांतरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:10:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: